निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1937 (श0)

(सं0 पटना 892) पटना, बुधवार, 5 अगस्त 2015

t y l lk/ku foHkkx

अधिसूचना

22 tu 2015

सं० 22/नि0सि0(भाग0)–09–09/2008/1407––श्री कामेश्वर चौधरी, आई0 डी0 क्रमांक–3863, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल संख्या–2, झाझा द्वारा उक्त पदस्थापन काल, वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 के दौरान नकटी जलाशय डैम के टॉप पर डब्लू0 बी0 एम0 रोड के कालीकरण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन की राशि 13,62,000/– (तेरह लाख बासठ हजार रूपये) एवं स्वीकृत परिमाण विपत्र की राशि 14,59,160/– रूपये (चौदह लाख उनसठ हजार एक सौ साठ रूपये) के विरूद्ध एकरारनामा संख्या–34 F_2/93–04 दिनांक 11.02.04 द्वारा 15,66,039/– (पन्द्रह लाख छियासठ हजार उनतालीस रूपये) का संवेदक के साथ अनियमित एकरारनामा करने तथा कार्य समाप्ति एवं कार्य का फाइनल करने के पूर्व ही जमानत की काटी गयी राशि कुल 67,993/– (सड़सठ हजार नौ सौ तिरानवे रूपये) संवेदक को वापस लौटा देने आदि अनियमितता बरते जाने के लिए इनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, प्रधान सचिव–सह–अपर विभागीय आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक 315 दिनांक 27.08.2013 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर किये जाने के उपरान्त जाँच प्रतिवेदन में श्री चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, नलकूप अंचल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए इनसे विभागीय पत्रांक 1340 दिनांक 01.11.2013 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

3. श्री चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप अंचल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 77 दिनांक 17.01.14 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त यह पाये जाने पर कि श्री चौधरी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में उन्हीं तथ्यों को दुहराया गया है जो इनके द्वारा पूर्व में संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपने बचाव बयान में कहा गया था तथा उक्त मामले में यद्यपि सरकार को आर्थिक क्षति नहीं हुई परन्तु बिहार पी0 डब्लू0 डी0 कोड के प्रावधानों के विपरीत तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन 13,62,000/– (तेरह लाख बासठ हजार रूपये) से अधिक राशि की परिणाम विपत्र तैयार कर उससे अधिक राशि 15,66,039/– (पन्द्र लाख छियासठ हजार उनतालीस रूपये) पर संवेदक के साथ एकरारनामा सम्पादित करने, एकरानामा की उक्त राशि को विभागीय अनुसूचित दर बताते हुए कार्य आवंटित करने एवं कार्य का अंतिम विपत्र पारित करने के पूर्व ही जमानत की काटी गयी राशि 67,993/– (सड़सठ हजार नौ सौ तिरानवे रूपये) संवेदक को वापस

करने का आदेश पारित करने के लिए श्री चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति अधीक्षण अभियंता पूर्णतः दोषी हैं, इनके विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–907 दिनांक 11.07.14 द्वारा निम्नांकित दण्ड संसूचित किया गया–

(i) निन्दन

(ii) दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

4. उपर्युक्त संसूचित दण्ड की पुर्नसमीक्षा हेतु श्री चौधरी द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक 01.03.15 समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा निम्न तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है–

(i) आरोप की राशि में भिन्नता के संबंध में कहा गया है कि प्राक्कलित राशि की तकनीकी स्वीकृति इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। परिमाण विपत्र 14,59,160/– रूपये (चौदह लाख उनसठ हजार एक सौ साठ रूपये) मुख्य अभियंता के द्वारा दिनांक 18.09.03 को स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल सं0–2, जमुई द्वारा कार्यस्थल निरीक्षणोपरान्त उनके आदेशानुसार प्राक्कन तैयार किया गया एवं उनके अनुमोदनोपरान्त ही निविदा की प्रक्रिया की गयी। प्राक्कलन पर अधीक्षण अभियंता का हस्ताक्षर दिनांक 31.10.03 की है और तुलनात्मक विवरणी एवं कार्यवंटन आदेश क्रमशः 24.12.03 एवं 26.12.03 है। कार्यपालक अभियंता प्रमंडल के कार्य निष्पादन एवं प्रबंधन के लिए अधीक्षण अभियंता के प्रति उत्तरदायी होते हैं जिसके अनुपालन में दिनांक 11.02.04 को संवेदक के साथ एकरारनामा किया गया एवं कार्य प्रारम्भ के लगभग दो माह बाद दिनांक 08.04.04 को 13,62,000/– (तेरह लाख बासठ हजार रूपये) का प्राक्कलन मुख्य अभियंता, भागलपुर द्वारा स्वीकृत किया गया।

स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारित राशि में अन्तर विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेश में भिन्नता के कारण हुआ है परन्तु भुगतान मुख्य अभियंता, भागलपुर के स्वीकृति प्राक्कलन 13,62,000/– (तेरह लाख बासठ हजार रूपये) के अन्तर्गत 13,59,875/– (तेरह लाख उनसठ हजार आठ सौ पचहत्तर रूपये) किया गया जिससे सरकार को कोई क्षति नहीं हुई है।

(ii) जमानत की राशि 67,993/– (सड़सठ हजार नौ सौ तिरानवे रूपये) संवेदक को लौटाये जाने के संबंध में कहा गया है कि कार्य समाप्ति के पूर्व नहीं बल्कि कार्य समाप्ति के बाद जमानत की राशि इसलिए वापस करने के लिए विवश होना पड़ा क्योंकि संवेदक द्वारा बार–बार धमकी दी जा रही थी। नकटी डैम क्षेत्र नक्सल प्रभावित भी है। इसी परिपेक्ष्य में संवेदक द्वारा जमा की गयी राशि का चेक संवेदक को देना पड़ा।

उक्त तथ्यों के आलोक में श्री चौधरी द्वारा संसूचित दण्ड पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है।

5. श्री चौधरी द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन में प्रस्तुत किये गये उपर्युक्त तथ्यों की समीक्षा पुनः सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि इनके द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन में दिये गये तथ्यों में भी प्रमाणित आरोपों के संबंध में स्वीकारोक्ति दी गयी है। स्वीकृत प्राक्कलन 13,62,000/– (तेरह लाख बासठ हजार रूपये) के विरूद्ध 15,66,039/– (पन्द्रह लाख छियासठ हजार उनतालीस रूपये) के एकरारनामा करने को माना गया है परन्तु इनका कहना है कि भुगतान की राशि स्वीकृत परिमाप विपत्र के अधीन है।

इसी प्रकार कार्य समाप्त होने के पूर्व की जमानत की राशि लौटाने के संबंध में कहा गया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र को देखते हुए संवेदक द्वारा बार–बार धमकी दिये जाने के कारण जमानत की राशि लौटा दी गयी।

6. उपर्युक्त पाये गये तथ्यों के आलोक में श्री कामेश्वर चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल संख्या–2, झाझा सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, नलकूल अंचल, मुजफ्फरपुर के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए अधिसूचना सं0–907 दिनांक 11.07.14 द्वारा उन्हें संसूचित दण्ड को यथावत रखने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री कामेश्वर चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल संख्या–2, झाझा सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, नलकूल अंचल, मुजफ्फरपुर के पुनर्विचार (अपील) अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए अधिसूचना सं0–907 दिनांक 11.07.14 द्वारा संसूचित दण्ड को यथावत रखा जाता है।

उक्त आदेश श्री कामेश्वर चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति अधीक्षण अभियंता को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 892-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in